डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन मंडी हाउस,

नई दिल्ली और अन्य

बनाम

मानस डे और अन्य

नवम्बर 17, 2005

(अरिजीत पसायत और आर. वी. रवींद्रन, जे.जे.)

आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना, 1993-खंड 4-योजना की प्रकृति-क्षेत्रः "अस्थायी" दर्जा प्राप्त करने के लिए, आकस्मिक श्रमिक को योजना शुरू होने की तारीख तक रोजगार में होना चाहिए और कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा भी प्रदान करनी चाहिए।

उत्तरदाताओं ने आकस्मिक डी श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना, 1993 के तहत अस्थायी स्थिति के अनुदान का दावा करते हुए ओ. ए. दायर किया, इस आधार पर कि उन्होंने 1988 से 1997 तक आकस्मिक श्रमिकों के रूप में सेवा प्रदान की थी। न्यायाधिकरण ने ओ. ए. को यह कहते

हुए अनुमति दी कि यह एक चालू योजना है और जब आकस्मिक मजदूर एक वर्ष में 240 दिन या 206 दिन (सप्ताह में 5 दिन रखने वाले कार्यालयों के मामले में) काम पूरा करते हैं, तो वे "अस्थायी" दर्जा प्राप्त करने के हकदार होते हैं। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की। अतः ई अपील प्रस्तुत करता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी दर्जा और नियमितीकरण का अनुदान) योजना, 1993 के खंड 4 में कहा गया है कि "अस्थायी" एफ का दर्जा उन आकस्मिक श्रमिकों को दिया जाना है जो योजना शुरू होने की तारीख तक रोजगार में थे।योजना के खंड 4 में इसे एक चालू योजना के रूप में परिकल्पना नहीं की गई है। "अस्थायी" दर्जा प्राप्त करने के लिए, आकस्मिक श्रमिक को योजना शुरू होने की तारीख तक रोजगार में होना चाहिए था और उसे कम से कम एक वर्ष की निरंतर जी सेवा भी प्रदान करनी चाहिए थी, जिसका अर्थ है कि उसे वर्ष में कम से कम 240 दिनों की अवधि के लिए या सप्ताह में 5 दिन रखने वाले कार्यालयों के मामले में 206

दिनों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए था। योजना के खंड 4 से, यह एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर सभी आकस्मिक श्रमिकों को "अस्थायी" दर्जा देने के उद्देश्य से लागू किया जाने वाला एक सामान्य दिशानिर्देश प्रतीत नहीं होता है।

भारत संघ बनाम गगन कुमार, जे.टी. (2005) 6 एस.सी.सी. 410 पर भरोसा किया।

यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य बनाम मोहन लाल और अन्य, (2002) 4 एस.सी.सी. 573, को लागू नहीं किया गया।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः

सिविल अपील सं. 6857/2005

2001 के W.P.C.T. सं. 1341 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.09.2004 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए राजीव शर्मा।

उत्तरदाताओं के लिए ध्रुव मेहता, राणा एस. विश्वास और श्रीमती सरला चंद्र।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया था।

अपीलार्थी कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता पर सवाल उठाते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी भारत सरकार की आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना, 1993 नामक योजना के तहत लाभ के हकदार थे। 7 सितंबर, 2001 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता पीठ (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 19 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर 1998 की ओ. ए. संख्या 992 में पारित निर्णय और आदेश को क्रम में माना गया था। संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः

प्रत्यर्थियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने 1988 से 1997 तक आकस्मिक श्रमिकों के रूप में सेवा प्रदान की थी। जिनके अनुसार उन्होंने नीचे वर्णित सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी कर ली हैः

"यह दावा किया गया था कि विभाग ने ओ. एम. नंबर 51016/2/90-ई.एस.टी.टी. द्वारा प्रसारित किया था।(ग) अस्थायी

स्थिति प्रदान करने और आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए दिनांकित 10.9.1993 एक योजना। इस योजना को भारत, 1993 की आकस्मिक जी श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना कहा जाता है। उक्त योजना 1.9.1993 से लागू हुई। इस योजना में उन आकस्मिक श्रमिकों को अस्थायी दर्जा देने की परिकल्पना की गई है जिन्होंने वर्ष में कम से कम 240 दिन (सप्ताह में 5 दिन रखने वाले कार्यालयों के मामले में 206 दिन) काम किया था।

योजना के पैराग्राफ 3 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

यह योजना इन आदेशों के जारी होने की तारीख को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ अधिकारियों पर लागू होती है।

योजना का पैराग्राफ 4 (1) इस प्रकार हैः

उन सभी आकस्मिक श्रमिकों को अस्थायी दर्जा दिया जाएगा जो इस ओ.एम. के जारी होने की तारीख को रोजगार में हैं और जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की है, जिसका अर्थ है कि वे कम से कम 240 (सप्ताह में 5 दिन रखने

वाले कार्यालयों के मामलों में 206 दिन) की अवधि के लिए लगे हुए होने चाहिए।

उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि इस न्यायालय ने 2000 की सिविल अपील संख्या 224 और संबंधित अपीलों में अभिनिर्धारित किया था कि विचाराधीन योजना एक चालू प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बार की योजना थी, फिर भी न्यायाधिकरण का निर्णय और आदेश 7 सितंबर, 2001 को ऊपर निर्दिष्ट सिविल अपील में इस न्यायालय के निर्णय से बहुत पहले दिया गया था, एक अधिकार जो न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न हुआ था, इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सुरक्षित रखा गया है। यह ध्यान दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा फैसले में सकारात्मक निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों को पहले से ही इस धारणा पर अस्थायी दर्जा दिया गया था कि यह योजना एक चालू योजना है, उन्हें फैसले के कारण उक्त स्थिति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से भारत संघ बनाम मोहन पाल और अन्य में

निर्णय के सामने गलत है, जो (2002) 4 एस.सी.सी. 573 में रिपोर्ट किया गया है।

इसके विपरीत प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मोहन लाल के मामले (सुप्रा) के पैराग्राफ 11 में टिप्पणियाँ उनकी रक्षा करती हैं जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया था।

योजना के खंड 4 की व्याख्या के आधार पर विवाद का समाधान किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह योजना जी 1.9.1993 से लागू हुई।

योजना का खंड 4 बहुत स्पष्ट है कि "अस्थायी" का दर्जा उन आकस्मिक मजदूरों को दिया जाना है जो योजना शुरू होने की तारीख तक रोजगार में थे। न्यायाधिकरण ने यह विचार रखा है कि यह एक चालू योजना है और जब आकस्मिक मजदूर एक वर्ष या 206 दिनों में 240 दिनों का काम पूरा करते हैं (5 दिनों का पालन करने वाले कार्यालयों के मामले में सप्ताह), वे "अस्थायी" स्थिति प्राप्त करने के हकदार हैं। हमें नहीं लगता कि योजना के खंड 4 में इसे एक चालू योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। "अस्थायी" दर्जा प्राप्त करने के लिए, आकस्मिक श्रमिक को

योजना शुरू होने की तारीख तक रोजगार में होना चाहिए था और उसे कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा भी प्रदान करनी चाहिए थी, जिसका अर्थ है कि उसे वर्ष में कम से कम 240 दिनों की अवधि के लिए या सप्ताह में 5 दिन काम करने वाले अधिकारियों के मामले में 206 दिनों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए था। योजना के खंड 4 से, यह एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर सभी आकस्मिक श्रमिकों को "अस्थायी" दर्जा देने के उद्देश्य से लागू किया जाने वाला एक सामान्य दिशानिर्देश प्रतीत नहीं होता है। बेशक, यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह किसी भी योजना को तैयार करे और जब भी यह आवश्यक पाया जाए कि आकस्मिक मजदूरों को "अस्थायी" का दर्जा दिया जाए और बाद में उन्हें समूह "डी" पदों में शामिल किया जाए।

इस स्थिति को भारत संघ बनाम गगन कुमार, जे.टी. (2005) 6 एस.सी. 410 में उजागर किया गया था।

ऊपर की स्थिति होने के नाते न्यायाधिकरण का आदेश स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और उच्च न्यायालय इस धारणा के तहत कार्यवाही में त्रुटि में था कि मोहन लाल के मामले (सुप्रा) में

कुछ पक्षों को दिया गया 1 संरक्षण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है।

जैसा कि गगन कुमार के मामले (सुप्रा) में देखा गया था कि मोहन लाल के मामले (सुप्रा) के पैराग्राफ 11 में टिप्पणियों को एक अलग तथ्यात्मक ई पृष्ठभूमि और संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था और वर्तमान मामले के तथ्यों पर इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है। लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति है।

डी.जी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।